प्रतिलिपि आदेश दिनांक 01.05.18 न्यायालयः वरूण कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद प्रकरण कमांकः 22ए/2018 ई.दी.

- 1. श्रीमती दौजाबाई पुत्री सरनाम सिंह, पत्नी मुकुट सिंह, आयु-32 वर्ष,
- 2. श्रीमती किरन पुत्री सरनाम सिंह पत्नी शिवराज सिंह, आयु–30 वर्ष, निवासीगण–ग्राम पिपरसाना, परगना–गोहद, जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....वादीगण

बनाम

- 1. सरनाम सिंह पुत्र स्व. श्री गंगाराम, आयु–65 वर्ष,
- 2. सुखलाल आयु-40 वर्ष,
- 3. अवधेश आयु—25 वर्ष पुत्रगण सरनाम सिंह राठौर, निवासीगण ग्राम पिपरसाना, थाना—गोहद, जिला—भिण्ड, म.प्र.
- 4. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला—भिण्ड, म.प्र.प्रितवादीगण

Order Sheet(Cont.)

वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक—01 लगायत 03 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रतिवादी क्रमांक-04 अनिर्वाहित।

प्रकरण आज दिनांक को प्रतिवादी कमांक 04 की उपस्थित हेतु नियत है।

आज दिनांक को सुबह से कई बार पुकार लगाए जाने पर भी उभयपक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 न तो स्वयं उपस्थित है और न ही उनकी ओर से उनके कोई अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रकरण में आज जहां कि न तो वादी और न ही प्रतिवादी उपस्थित है और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित है वहां दावा अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

व्ययतालिका बनाई जाए।

प्रकरण का परिणाम विधिवत पंजी में दर्ज कर विहित समय अविध के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जाए।

> (वरूण कुमार शर्मा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 गोहद

01.05.18